भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4445

19 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

आवासन, बुनियादी सुविधाओं और मलिन बस्तियों के पुनर्वास के लिए योजनाएं

4445. एडवोकेट चन्द्र शेखरः

श्री हनुमान बेनीवालः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश भर के शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास, बुनियादी शहरी सुविधाओं (पेयजल, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) और मलिन बस्तियों के पुनर्वास की योजनाओं का कार्यान्वयन निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इनके पूरा होने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) शहरी गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूरे किए जा चुके आवासों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि समय पर केन्द्रीय अंशदान प्राप्त न होने के कारण अनेक नगर निकायों में कार्य बाधित हो गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): संविधान के अनुच्छेद 243ब और सातवीं एवं बारहवीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार, शहरी विकास से संबंधित मामले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचए) अपने विभिन्न प्रमुख मिशनों/कार्यक्रमों जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0), स्वच्छ

भारत मिशन - शहरी 2.0 (एसबीएम - यू 2.0), प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) आदि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के शहरी विकास एजेंडे में कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करता है।

इन मिशनों/योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार राज्य योजनाओं को अनुमोदित करती है और राज्यों को केंद्रीय सहायता (सीए) प्रदान करती है। परियोजनाओं का चयन, डिजाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें शहरों/जिलों को निधियाँ जारी करती हैं।

अमृत: वर्ष 2015 में देश भर के चयनित 500 शहरों (अब 15 विलयित शहरों सहित 485 शहर) और कस्बों में शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य चयनित शहरों और कस्बों में जल आपूर्ति; सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन; तूफानी वर्षा जल निकासी; हरित क्षेत्र और पार्क; और गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन जैसे क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करना था। एसएनए स्पर्श के माध्यम से निधियां जारी करने के साथ अमृत को 31 दिसंबर 2025 तक अनुमोदित किया गया था। अमृत के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 83,493.22 करोड़ रुपये की 6,000 परियोजनाओं की नींव रखी है, जिनमें से लगभग 81,177.67 करोड़ रुपये के काम भौतिक रूप से पूरे किए जा चुके हैं। परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

अमृत 2.0 को वर्ष 2021 में सभी शहरी स्थानीय निकायों/शहरों में शुरू किया गया है, जिससे शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनाया जा सके। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की व्यापक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के प्रमुख केंद्रित क्षेत्रों में से एक है। जलाशयों का पुनरुद्धार और हरित क्षेत्र एवं पार्क मिशन के अन्य घटक हैं। अमृत 2.0 के तहत, 1,92,482.52 करोड़ रुपये की 8,771 परियोजनाओं वाली राज्य जल कार्य योजनाओं को अनुमोदन दिया गया है। जैसा कि अमृत 2.0 पोर्टल पर राज्यों द्वारा अदयतन जानकारी दी गई है, 1,26,357.51 करोड़ रुपये (कैपेक्स) की कुल लागत वाली 7,080 परियोजनाओं में कार्य सौंपा गया है, जिनमें से 54,429.73 करोड़ रुपये के कार्य भौतिक रूप से पूरे हो चुके हैं। अमृत 2.0 मिशन को मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

निधियों का केन्द्रीय हिस्सा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया जाता है न कि जिला/यूएलबी-वार। राज्य कार्यों की प्रगति के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों/पैरास्टेटल निकायों को आगे निधियां आबंटित करते हैं। इसके अलावा, मिशन के तहत केंद्रीय निधियां

मूल स्वीकृति के माध्यम से जारी की जाती हैं, जिनका उपयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वास्तविक समय के आधार पर किया जाता है।

एसबीएम-यू: स्वच्छता राज्य का विषय है। इसलिए, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता परियोजनाओं की योजना बनाना, डिजाइन तैयार करना और उन्हें क्रियान्वित करना राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है।
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) और प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएण) पर नियमावली/प्रक्रिया मानक (एसओपी) साझा करके और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के चयन हेतु समय-समय पर विभिन्न परामर्शिकाएं और दिशानिर्देश जारी करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में नीतिगत दिशा-निर्देश, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। एसबीएम-यू के अंतर्गत हुई प्रगति का विवरण https://www.sbmurban.org/swachh-bharat-mission-progess पर देखा जा सकता है। अक्टूबर, 2024 से एसएनए-स्पर्श की शुरुआत के साथ, विभिन्न स्तरों पर राज्यों द्वारा दिए गए वास्तविक बिलों/दावों के आधार पर पीएफएमएस, राज्य आईएफएमआईएस और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के एकीकृत फ्रेमवर्क के माध्यम से केंद्रीय हिस्सा (सीएस) फंड प्रदान किए जाते हैं।

एससीएम: मिशन 31.03.2026 को समाप्त हो गया है। एससीएम के अंतर्गत शहरों का विकास राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्मार्ट मोबिलिटी, जल-स्वच्छता-साफ-सफाई (डब्ल्यूएएसएच), स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट ऊर्जा, पर्यावरण आदि में प्राप्त प्रस्तावों (एससीपी) के आधार पर किया गया है। एससीएम के तहत, जैसा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 01.03.2026 तक रिपोर्ट किया गया है, मिशन की शुरुआत के बाद से 1,64,811 करोड़ रुपये की कुल 8,064 परियोजनाएं शुरू की गईं, जिनमें से 1,56,159 करोड़ रुपये की 7,784 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। एससीएम के तहत, आवास से संबंधित 123 परियोजनाएं शुरू की गई थीं, जिनमें से 122 पूरी की जा चुकी हैं।

पीएमएवाई-यू: भूमि और कॉलोनीकरण राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से पीएमएवाई-यू के तहत देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को पक्के आवासों के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहयोग करता है।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना को नया रूप दिया है और 01.09.2024 से देश भर के शहर क्षेत्रों में कार्यान्वयन हेतु पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है ताकि एक करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थी चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से किफायती लागत पर घर बना, खरीद और किराए पर ले सकें। पीएमएवाई-यू 2.0 के दिशानिर्देश और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए एकीकृत वेब-पोर्टल को https://pmay-urban.gov.in के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाते हैं, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित शहरी स्थानीय निकायों/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से पात्रता मानदंडों के आधार पर मांग सर्वेक्षण किया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना के अंतर्गत आवासों की अपनी आकलित मांग के अनुसार परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं और उन्हें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) से अनुमोदित करवाते हैं। संबंधित एसएलएसएमसी से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा केंद्रीय सहायता के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव इस मंत्रालय को प्रस्तुत करते हैं। तदनुसार, आवास की मांग के आधार पर, केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 के दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए राज्य द्वारा मंत्रालय को परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक है। पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत भौतिक और वित्तीय प्रगति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-III में है।

***

'आवासन, बुनियादी सुविधाओं और मलिन बस्तियों के पुनर्वास के लिए योजनाएं' के संबंध में 19 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4445 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

अमृत के तहत परियोजनाओं का राज्यवार विवरण

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रू. में)	भौतिक रूप से पूरा किया गया कार्य (करोड़ रू. में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	79	10.90	10.68
2	आंध्र प्रदेश	226	3,341.45	2,872.64
3	अरुणाचल प्रदेश	11	129.81	118.39
4	असम	17	625.71	625.71
5	बिहार	65	2,575.72	2,510.53
6	चंडीगढ़	12	57.41	57.41
7	छत्तीसगढ़	305	2,460.60	2,454.04
8	दादरा और नगर हवेली	2	41.45	41.45
	दमन और दीव	3	25.98	25.98
9	दिल्ली	26	674.77	652.86
10	गोवा	15	259.98	259.98
11	गुजरात	451	5,165.96	5,162.72
12	हरियाणा	136	2,919.99	2,819.53
13	हिमाचल प्रदेश	75	304.51	304.51
14	जम्मू और कश्मीर	84	527.99	516.91
15	झारखंड	59	1,615.06	1,314.04
16	कर्नाटक	404	5,112.54	4,909.15
17	केरल	1,106	2,534.51	2,493.28
18	लद्दाख	20	73.00	44.00
19	लक्षद्वीप	6	2.42	2.42
20	मध्य प्रदेश	216	6,768.00	6,600.27
21	महाराष्ट्र	208	8,011.36	7,881.18

22	मणिपुर	6	211.87	202.66
23	मेघालय	15	81.65	81.47
24	मिजोरम	16	140.25	140.25
25	नागालैंड	27	126.96	125.83
26	ओडिशा	191	1,714.42	1,714.42
27	पुडुचेरी	23	64.10	63.74
28	पंजाब	163	2,761.02	2,506.48
29	राजस्थान	144	3,485.97	3,441.17
30	सिक्किम	75	37.53	37.53
31	तमिलनाडु	445	13,339.43	13,081.33
32	तेलंगाना	66	1,663.08	1,663.08
33	त्रिपुरा	10	160.28	160.28
34	उत्तर प्रदेश	665	11,825.28	11,673.24
35	उत्तराखंड	150	590.63	588.00
36	पश्चिम बंगाल	478	4,051.63	4,020.49
	कुल	6,000	83,493.22	81,177.67

अनुलग्नक-II

'आवासन, बुनियादी सुविधाओं और मलिन बस्तियों के पुनर्वास के लिए योजनाएं' के संबंध में 19 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4445 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

अमृत 2.0 के तहत परियोजनाओं का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य	अनुमोदित परियोजनाएं		ठेका दिया गया (पूर्ण परियोजनाओं सहित)		भौतिक रूप से पूर्ण (करोड़ रू. में)
		संख्या	लागत (करोड़ रू में)	संख्या	लागत (करोड़ रू. में)	
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	63	34.89	60	27.53	5.87
2	आंध्र प्रदेश	505	9,505.91	386	6977.50	682.78
3	अरुणाचल प्रदेश	20	211.99	19	163.08	34.38
4	असम	58	986.98	56	819.15	369.18
5	बिहार	62	8,167.78	10	336.92	0
6	चंडीगढ़	7	166.39	5	119.21	55.12
7	छत्तीसगढ़	81	3,164.87	37	1999.00	664.44
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1	63.47	1	58.44	46.75
9	दिल्ली	69	4,588.43	43	565.00	397.92
10	गोवा	30	184.41	23	150.95	97.61
11	गुजरात	927	16,316.32	868	14644.59	9,606.91
12	हरियाणा	77	3,823.54	72	2087.60	797.71
13	हिमाचल प्रदेश	47	321.66	47	280.02	174.18
14	जम्मू और कश्मीर	90	1,002.37	90	779.50	170.29
15	झारखंड	113	4,202.53	100	1572.23	228.62
16	कर्नाटक	648	10,258.46	216	8064.12	3,266.73
17	केरल	737	3,749.09	551	1906.40	845.41

18	लद्दाख	7	908.9	4	68.83	17.21
19	मध्य प्रदेश	1153	12,951.10	1082	9890.68	2,241.13
20	महाराष्ट्र	275	30,079.93	241	22769.00	8,993.47
21	मणिपुर	67	196.49	27	97.32	14.37
22	मेघालय	1	121	1	121.00	105.27
23	मिजोरम	106	157.78	20	142.55	76.76
24	नागालैंड	64	218.9	62	169.18	46.39
25	ओडिशा	345	4,029.55	325	3569.17	2,279.69
26	पुडुचेरी	19	196.41	16	162.24	109.64
27	पंजाब	214	3,626.38	149	1526.18	595.03
28	राजस्थान	352	11,267.31	238	5879.18	2,934.94
29	सिक्किम	8	49.41	8	49.30	38.41
30	तमिलनाडु	1263	14,637.74	1262	13299.14	8,239.48
31	तेलंगाना	252	9,584.26	252	7765.92	1,442.70
32	त्रिपुरा	18	191.53	18	178.56	149.6
33	उत्तर प्रदेश	651	26,761.06	482	12163.78	6,224.98
34	उत्तराखंड	38	767.75	22	319.27	143.34
35	पश्चिम बंगाल	403	9,987.93	287	7634.96	3,333.42
	कुल	**8,771**	**1,92,482.52**	**7,080**	**1,26,357.51**	**54,429.73**

'आवासन, बुनियादी सुविधाओं और मलिन बस्तियों के पुनर्वास के लिए योजनाएं' के संबंध में 19 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4445 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत भौतिक और वित्तीय प्रगति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्रं.सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवासों की भौतिक प्रगति (संख्या)			वित्तीय प्रगति (₹ करोड़ में)		
							केंद्रीय सहायता	
			स्वीकृत	शुरू किए गए	पूर्ण/ सौंपे गए	निवेश	स्वीकृत	जारी
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	19,55,310	18,37,541	11,24,209	87,152	29,812	24,045
2		बिहार	4,45,135	3,91,648	1,98,765	26,793	6,908	4,652
3		छत्तीसगढ़	3,34,502	2,95,472	2,63,109	15,256	5,288	4,464
4		गोवा	3,176	3,176	3,176	702	75	75
5		गुजरात	10,98,858	10,09,918	9,75,081	1,17,115	22,239	20,270
6		हरियाणा	1,32,982	86,861	73,313	10,679	2,432	1,739
7		हिमाचल प्रदेश	14,027	13,087	11,923	951	245	227
8		झारखंड	2,43,368	2,10,752	1,66,291	12,384	3,816	3,216
9		कर्नाटक	5,77,804	4,98,592	3,99,258	48,968	9,700	7,777
10		केरल	1,62,159	1,55,633	1,39,805	8,704	2,701	2,500
11		मध्य प्रदेश	10,11,558	9,67,393	8,99,293	56,307	16,605	15,878
12		महाराष्ट्र	13,49,934	11,87,750	10,48,128	1,75,959	24,996	20,242
13		ओडिशा	2,30,846	1,94,872	1,69,494	10,489	3,588	2,790
14		पंजाब	1,57,889	1,27,892	1,02,595	11,284	2,711	2,193
15		राजस्थान	3,66,612	3,17,204	2,67,251	28,837	6,503	5,596

16		तमिलनाडु	6,85,031	6,69,221	6,20,420	49,474	11,236	10,743
17		तेलंगाना	3,80,662	2,56,654	2,25,800	37,346	6,426	3,973
18		उत्तर प्रदेश	21,33,963	18,47,866	17,18,783	1,08,138	33,262	29,147
19		उत्तराखंड	66,692	63,943	51,871	5,099	1,220	1,113
20		पश्चिम बंगाल	6,25,664	6,09,997	5,11,916	36,369	10,081	8,921
उप-कुल (राज्य)			1,19,76,172	1,07,45,472	89,70,481	8,48,006	1,99,845	1,69,563
21	पूर्वोत्तर राज्य	अरुणाचल प्रदेश	14,400	12,186	8,642	872	318	212
22		असम	1,87,032	1,77,887	1,44,666	6,509	2,960	2,503
23		मणिपुर	56,047	50,426	22,506	1,586	868	582
24		मेघालय	7,072	4,156	2,841	346	124	77
25		मिजोरम	39,616	39,173	33,950	949	611	520
26		नागालैंड	32,394	31,060	30,152	1,089	522	443
27		सिक्किम	299	299	219	25	6	7
28		त्रिपुरा	90,318	88,689	82,167	3,029	1,474	1,364
उप-कुल (पूर्वोत्तर राज्य)			4,27,178	4,03,876	3,25,143	14,405	6,884	5,708
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	261	261	234	64	4	4
30		चंडीगढ़	1,279	1,279	1,279	266	29	29
31		दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	10,464	10,464	10,030	1,057	216	210
32		दिल्ली	32,466	32,466	32,466	6,056	701	701
33		जम्मू और	45,982	42,993	35,245	2,694	734	586

		कश्मीर						
34		लद्दाख	1,434	1,032	968	74	34	27
35		पुडुचेरी	19,777	18,079	12,548	1,469	347	253
उप-कुल (यूटी)			1,11,663	1,06,574	92,770	11,680	2,065	1,810
महायोग			125.15 लाख	116.57 लाख*	97.30 लाख*	8.74 लाख करोड़	2.09 लाख करोड़	1.77 लाख करोड़

* मिशन अवधि के दौरान जेएनएनयूआरएम के पूर्ण (342 लाख)/शुरू किए गए (4.01 लाख) आवास शामिल हैं।

***